उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-1
संख्या-7/2016/749/12-1-16-121/2015
लखनऊ: दिनॉक: 17 मई, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उ0प्र0 कृषि सेवा (समूह-'क' पद) के संयुक्त कृषि निदेशक स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रू0 37,400-67000, ग्रेड पे रू0 8700 में अपर कृषि निदेशक स्तर के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद पर तैनात करने एवं स्तम्भ-5 में उल्लिखित योजना का कार्य आवंटित किये जाने की राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम (सर्वश्री)	गृह जनपद	नई तैनाती का स्थान	आवंटित योजना
1	2	3	4	
1	आर0पी0एस0 तोमर	फतेहपुर	अपर कृषि निदेशक (तिलहन व दलहन), कृषि भवन, लखनऊ।	एन0एम0ओ0ओ0पी0
2	सोराज सिंह	बागपत	अपर कृषि निदेशक (प्रसार), कृषि भवन, लखनऊ।	एन0एम0ए0ई0टी0
3	राजेन्द्र धर द्विवेदी	गोण्डा	अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), कृषि भवन, लखनऊ।	कृषि रक्षा के साथ-साथ एन0एफ0एस0एम0 का भी कार्य।
4	भारत प्रसाद राजपूत	बाँदा	अपर कृषि निदेशक गेहूं एवं मोटा अनाज), कृषि भवन, लखनऊ।	बी0जी0आर0ई0आई0
5	राजा सिंह	कानपुर	अपर कृषि निदेशक (प्रशिक्षण), रहमानखेड़ा, लखनऊ।	प्रशिक्षण, रहमानखेड़ा के साथ-साथ एन0एम0एस0ए0 का भी कार्य।

2- उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ के समक्ष लंबित रिट याचिका संख्या-881/2012 राम शब्द जैसवारा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3- संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य हेतु अलग से कोई वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2016/749(1)/12-1-16-121/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।

(4) अपर कृषि निदेशक (प्रशासन), कृषि भवन, लखनऊ।

(5) संबंधित कोषाधिकारी, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।

(7) संबंधित अधिकारीगण, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

(8) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को आगामी गजट अंक में प्रकाशनार्थ।

(9) निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री/मा0 राज्य कृषि मंत्री, उ0प्र0।

(10) गार्ड बुक कृषि अनुभाग-1

आज्ञा से,

ए0पी0 त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।